OL-34-हिं.टि.आ.पु./2012 1/2441307/2025



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



उप क्षेत्रीय कार्यालय,ठाणे

प्लॉट: ए-12/1, एम आई डी सी, एल बी एस मार्ग, वागले इस्टेट डाकघर के पास, ठाणे (प.), महाराष्ट्र-400604

Sub Regional Office, Thane Plot No.-A-12/1, MIDC, LBS Marg, Next to Wagle Estate Post Office, Thane(W), Maharashtra-400604 Telephone- 022-69074700 to 799

Email: dir-thane@esic.nic.in, Website: -esic.nic.in

परिपत्र Circular

विषय : सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना। Subject: Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works.

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना क.रा.बी. निगम में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। "क" व "ख" क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 20000 (बीस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी तथा "ग" क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 10000 (दस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिए पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निगम इकाइ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित 10 प्रस्कारों का प्रावधान है-

Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works initiated by Government of India is also applicable in E.S.I. Corporation. This scheme is based on financial year. Officers/employees who write minimum 20000 (twenty thousand) Hindi words in region "A" and "B" during the financial year and Officers/employees who write minimum 10000 (ten thousand) Hindi words in region "C" during the financial year are eligible to apply under this scheme. There is a provision of following 10 prizes for the officers/employees of each corporation unit under the scheme -

क्र.सं. S.No.	पुरस्कार Prize	पुरस्कारों की संख्या Number of prizes	पुरस्कार राशि(रु.) Prize amount (Rupees)
1.	प्रथम/First	02	5000/- प्रत्येक/each
2.	द्वितीय/Second	03	3000/- प्रत्येक/each
3.	तृतीय/Third	05	2000/- प्रत्येक/each

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता हेत् निम्नलिखित विहित प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित है -

The record in the following prescribed proforma is required to be maintained for participation under this scheme -

प्रपत्र/Proforma

श्री/ः	सुश्री	पदनाम		कर्मचारी	संख्या
	5	के दौरान हिं			
The	details of Hindi w	ork by Mr./Mrs Des	signation	Employee No	during
the	month of				

क्र.सं. S.No.	तिथि Date	हिंदी में किए गए कार्य की फाइल/रजिस्टर संख्या/File/Register no. of Hindi work	हिंदी में लिखे टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या/No. of words in Hindi noting/drafting	-	गए अन्य कार्य rks in Hindi शब्दों की संख्या No. of words	नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)/Signature of controlling authority (Once in a week)
1	2	3	4	5	6	7

प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए समिति द्वारा 70 % अंक हिंदी कार्य की मात्रा के आधार पर तथा 30% अंक विचारों की स्पष्टता, आवेदन के साथ संलग्न रिकॉर्ड के प्रारूप, संलग्न नमूनों व रिकॉर्ड में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण, टिप्पण की गुणवत्ता, कार्य की प्रकृति, वर्तनी, हिंदी शब्दावली का प्रयोग, टिप्पण-आलेखन की विविधता आदि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दिए जाएंगे। अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

For the evaluation of the applications, committee will award 70 % marks on the basis of the quantity of Hindi work and 30% marks will be awarded on the basis of comparative study of the clarity of thoughts, format of the record attached with the application, inspection of the samples attached and documents quoted in the record, quality of noting, nature of work, grammar, use of Hindi vocabulary, variety in noting-drafting etc. Other terms and conditions will be as per instructions issued from time to time.

OL-34-탽.ĉ.э..पु./2012 I/2441307/2025

जिन अधिकारियों /कर्मचारियों ने वर्ष 2024-25 में इस प्रोत्साहन योजना में भाग लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने रिकॉर्ड सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत राजभाषा शाखा को 31 मई 2025 तक अवश्य भेज दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में भाग लेने के इच्छुक कार्मिकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप अपना रिकॉर्ड रखें।

The officers/employees who have participated in the scheme in year 2024-25, are requested to submit their record countersigned by controlling authority in the official language branch upto 31st May 2025. The applications received after the last date will not be considered. The employees willing to participate in 2025-26 are requested to maintain their record as per above instructions.

कृपया इसे सभी अधीनस्थों / सहकर्मियों के संज्ञान में लाएं। Please bring it to the notice of all the subordinates and colleagues.

इसे संयुक्त निदेशक (प्र.) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This is being issued with the approval of the Joint Director (I/c.).

संलग्नक/ Enclosed: मुख्यालय से जारी पत्र/letter issued by Hqrs.

(गीतांजिल अंतिल Geetanjali Antil) सहा. निदेशक (राजभाषा) Asst. Director(O.L.)

प्रतिलिपि Copy To:-

- 1. महानिदेशक (राजभाषा), कराबी निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ। Director General (OL), ESI Corporation, Panchdeep Bhavan, CIG Marg, New Delhi for information.
- 2. उप निदेशक (राजभाषा), पश्चिम अंचल, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई। DD(OL), West Zone, Regional Office, Mumbai.
- 3. सभी उप/सहायक निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे। All Deputy/Assistant Directors, Sub Regional Office, Thane.
- 4. सभी शाखा अधीक्षक/सा.सु.अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे। All Branch Superintendents/SSOs, Sub Regional Office, Thane.
- 5. सभी डीसीबीओ प्रभारी/शाखा प्रबंधक, अधीनस्थ डीसीबीओ/शाखा कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे। All DCBO Incharges/Branch Managers, subordinate DCBOs/Branch Offices, Sub Regional Office, Thane.
- 6. सभी शाखाएं/शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे। All Branches/Branch Offices/DCBOs, Sub Regional Office, Thane.
- 7. वेबसाइट प्रबंधक/आईसीटी शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। Website Manager/ICT Branch, Sub Regional Office, Thane to upload on website.